

श्री दीपक आनन्द, सचिव, खेल विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक—
29.07.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे संपन्न प्रशाखा-01 की समीक्षात्मक
बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
2. श्री भागीरथ प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
3. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
4. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा), खेल निदेशालय।
5. सुश्री रुचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
6. श्री सरोज झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल निदेशालय।
7. श्री रवि कुमार, वरीय सचिवालय सहायक, खेल विभाग।

I. सर्वोच्च प्राथमिकताएँ

(1) निदेशालय का गठन

निदेशालय को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाने तथा क्षेत्रीय कार्यालय के स्थापना से संबंधित एवं निदेशालय से संबंधित सभी संचिकाएँ निदेशालय को हस्तांतरित करने की कार्यवाही विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में पूर्ण की जाय।

(अनुपालन— सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/वरीय सचिवालय सहायक/उच्चवर्गीय लिपिक (खेल निदेशालय सहित)

(2) नियुक्ति हेतु आयोग को प्रेषित अधियाचनाएँ

(क) विभाग एवं निदेशालय के पदों पर—

1. बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल अधीनस्थ सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल स्वीकृत पद— 380 है, जिसमें 379 पद रिक्त है। 379 रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-08/2025 प्रकाशित किया गया। विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पदों का 21 खेल विधावार विवरण उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप आयोग ज्ञापांक-1921/आ0, दिनांक-04.05.2026 द्वारा खेल विधावार

31/7/26



कोटिवार रिक्तियों की विवरणी एवं पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया।

उक्त अधियाचित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की अद्यतन स्थिति के संबंध में उप सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा बताया गया कि एजेंसी चयन की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है एवं Software 15 दिनों तैयार कर अभ्यर्थियों से क्रीड़ा प्रशिक्षक के 379 पदों का 21 खेल विधावार विकल्प प्राप्त किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

II. बिहार खेल सेवा संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल सेवा संवर्ग के मूल कोटि के कुल पद-44 है। जिसमें प्रोन्नति हेतु स्वीकृत पद-11 एवं रिक्त पद 33 है। 33 रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति से संबंधित परीक्षा सम्पन्न एवं परीक्षाफल प्रकाशित हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अभ्यर्थियों से आपत्ति (यदि कोई हो तो) प्राप्त करने की कार्रवाई दिनांक-29.07.2026 से प्रारंभ की गयी है। आपत्ति निराकरण के पश्चात् परीक्षा परिणाम प्रकाशित की जायेगी।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

III. बिहार खेल लिपिकीय सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति की स्थिति

बिहार खेल लिपिकीय सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद पर निम्नवर्गीय लिपिक के कुल स्वीकृत पद-80 है। जिसमें सीधी भर्ती हेतु पद-68, कार्यरत बल-12, सीधी नियुक्ति के आधार पर कोटिवार कार्यरत पद- 15 इसके पश्चात् रिक्त पद-53 है। 53 रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार लिखित परीक्षा का संभावित तिथि जून-जुलाई-2026 दिया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि परीक्षा की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को पत्र भेजा जाय।





(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(ख) राज्य खेल अकादमी, राजगीर

कुल 81 पद स्वीकृत है। बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर के लिए स्वीकृत कुल 81 पदों में से 02 पदों के नियुक्ति नियमावलियों का गठन किया गया है।

निम्नवर्गीय लिपिक के लिए कुल पद— 10 हैं, जिसमें कार्यरत पद एक भी नहीं है। 10 रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधियाचना सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि जून-जुलाई, 2026 दिया गया है।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर के लिए क्रीड़ा प्रशिक्षक के कुल 48 रिक्त पदों के विरुद्ध चयन हेतु (विभागीय पत्रांक-3278 एवं दिनांक-29.07.2025) सामान्य प्रशासन विभाग अधियाचना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को प्रेषित है।

उक्त अधियाचित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की अद्यतन स्थिति के संबंध में अपर सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा आश्वस्त करते हुए कहा गया है कि आयोग द्वारा उक्त पद के नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु एजेंसी चयन की कार्रवाई दो दिनों के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। तदोपरांत उक्त अधियाचित पदों की परीक्षा तिथि शीघ्र प्रकाशित कर दी जायेगी।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(ग) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा कुल 301 पदों का प्रस्ताव निर्गत हो चुका है। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया गया है और कार्यकारणी समिति से अनुमोदन किया जा चुका है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से **HR Manual** पर सहमति दी गई है। संचिका वित्त विभाग को भेजी दी गई है। वित्त विभाग से संशोधन/समीक्षा के परामर्श के साथ संचिका वापस प्राप्त हुई है। वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अपेक्षित संशोधन करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से अनुरोध किया गया।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से संशोधित **HR Manual** प्राप्त हो चुका है।

उक्त संशोधित HR Mannual में वित्त विभाग के परामर्श/आपत्ति के अनुरूप संशोधन पर विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाय। तदोपरांत वित्त विभाग की सहमति शीघ्र प्राप्त करने हेतु संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित करें।

(सुश्री रुचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(3) सेवान्त लाभ

(क) पूर्व से लंबित सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामले का निष्पादन 15 दिनों के अंदर करना सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि सेवानिवृत्त संबंधी सभी मामले का निष्पादन हो गया है, जो निम्नवत् है:-

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम	पदनाम	पदस्थापित कार्यालय	सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवांत लाभ की स्थिति
1	श्री बैधनाथ सिंह	निम्नवर्गीय लिपिक	मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना	28.02.2026	महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है।
2	श्री देवनारायण पासवान	कार्यालय परिचारी	जिला खेल पदाधिकारी का कार्यालय, सहरसा	31.05.2026	महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है।
3	श्री किरण कुमार झा	उच्चवर्गीय लिपिक	मोईनुलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना	30.06.2026	महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है।
4	श्री जय शिवशंकर प्रसाद विद्यार्थी	कार्यालय परिचारी	उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, कटिहार	30.06.2026	महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा चुका है।
5	श्री उमाशंकर दुबे	कार्यालय परिचारी	प्राचार्य, बी०पी० सिन्हा, शा०शि०, महाविद्यालय, पटना	30.11.2026	विभागीय पत्रांक-89, दिनांक-10.06.2026 द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने हेतु महालेखाकार कार्यालय से अनुरोध किया गया है।

श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग एवं श्री सरोज कुमार झा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल निदेशालय द्वारा बताया गया कि सेवान्त लाभ का कोई मामला विभाग एवं निदेशालय में लंबित नहीं है।

⑤

५

(ख) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मियों, पदाधिकारियों की सूची तैयार कर संचिका में प्रस्तुत करेंगे। उन सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से सेवानिवृत्त संबंधी सभी कागजात प्राप्त कर सेवान्त लाभ को ससमय निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशाखा पदाधिकारी-01 को निदेशित किया गया कि 31 दिसम्बर 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों की सूची अवलोकनार्थ हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी)

(4) ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0

खेल विभाग में ए0सी0पी0 / एम0ए0सी0पी0 से संबंधित जितने भी मामले लंबित हैं, जिस पर विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है। उक्त के आलोक में तिथि दिनांक— 11.08.2026 को 11 बजे निर्धारित है। इस हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सुश्री रुचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)

(5) न्यायालय से संबंधित मामले

(क) माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय से संबंधित मामले की सूची सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार की जायेगी।

(ख) यदि न्यायालय आदेश के अनुपालन की आवश्यकता है तो अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि अपील करने की या आदेश का संशोधन करने की आवश्यकता है तो विधि विभाग से परामर्श प्राप्त कर अपील दायर करने की कार्रवाई की जाय।

(ग) न्यायालय का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह का लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(अनुपालन— श्री वीर अभिमन्यु, प्रशाखा पदाधिकारी एवं सुश्री रुचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी)





उपस्थिति किया गया।

संबंधित संबंधित पत्रों का प्रतिवेदन दिनांक-28.07.2026 (मंगलवार) को श्री मागीरु प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा प्रशाखा-1 से

अवलोकनार्थ उपस्थिति की जाय।

संबंधित पत्रों का प्रतिवेदन संबंधित पत्रों में संशोधित करते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष में प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि0व0लि0 का साप्ताहिक (2) संबंधित पत्रों का प्रतिवेदन सचिव के समक्ष उपस्थिति करना निर्धारित प्रपत्र

अकारिष्मक अवकाश की कटौती की जाय।

स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय साथ ही एक माह में दो दिन विनम्र होने पर एक कार्यालय अवधि के बाद कार्यालय आने-जाने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों से नियमों के तहत कार्रवाई की जाय।

स्थिति में उनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित पदाधिकारियों/कर्मियों के समय पर कार्यालय आने-जाने में सुधार नहीं होने की संबंधित प्रतिवेदन प्रशाखावार तैयार कर प्रत्येक बुधवार को प्रस्तुत करेंगे।

उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति से सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से (Biometric Attendance) (1) कार्यालय में उपस्थिति (Biometric Attendance)

II. सामान्य प्राथमिकताएं

(अनुपालन- श्री अविनाश शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी)

(ग) वर्ग चार के कर्मियों का अवकाश संयुक्त सचिव स्वीकृत करेंगे।

श्री कर्मी अवकाश में नहीं रहेंगे।

(ख) अतिआवश्यक परिस्थिति को छोड़कर बैठक के दिन (सोमवार एवं बुधवार) को कोई कर्मियों।

लिए आवेदन संबंधित पत्रों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वीकृति हेतु उपस्थिति (क) सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/अवर सचिव अवकाश के

(6) अवकाश

(3) निरीक्षण

(क) पटल निरीक्षण

प्रत्येक सप्ताह प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रशाखा के किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० एवं अवर सचिव द्वारा किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण किया जायेगा एवं पटल निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संचिका में उपस्थापित करें।

पटल निरीक्षण/प्रशाखा निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) की संचिका प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से उपस्थापित कर दिये जाने का निदेश दिया गया।

श्री भागीरथ प्रसाद यादव, प्रशाखा पदाधिकारी— 01 द्वारा सुश्री रुचि दिव्यांशी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण दिनांक—28.07.2026 (मंगलवार) को किया गया।

(ख) प्रशाखा निरीक्षण

संयुक्त सचिव द्वारा प्रशाखा का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार किया जाना है तथा प्रशाखा निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका में टिप्पणी अंकित करते हुए निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अवर सचिव किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/उच्चवर्गीय/निम्नवर्गीय लिपिक का निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(4) प्रशाखा की उपलब्धि

खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर का वर्ष 2026-27 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समेकित करते हुए एक पुस्तिका तैयार किया जाना है।

III. नवाचार

(1) ई-ऑफिस

दिनांक— 31.07.2026 से ई-ऑफिस के माध्यम से ही संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया, (अन्य वाह्य विभाग को जाने वाली संचिका को छोड़कर)। इस कार्य में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आई०टी० मैनेजर से सहायता प्राप्त करेंगे।





(2) टंकण कार्य

सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर से संबंधित कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है।

प्रत्येक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ वरीय सचिवालय सहायक/ कनीय सचिवालय सहायक/ उच्चवर्गीय लिपिक को हिन्दी में टंकण की गति 35-40 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया है।

(3) सुलभ संगणक (Ready Reckoner)

सुलभ संगणक 3.0 को इस वर्ष तैयार किया जाना है। इस हेतु विभाग से निर्गत सभी नियमों को समेकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण श्रीमती श्रेया पुष्कर, सहायक निदेशक-सह-जनसम्पर्क पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(4) iGOT Portal पर प्रशिक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये पत्र के आलोक में सभी पदाधिकारी/ कर्मि प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आईटी0 प्रबंधक से सहायता प्राप्त करेंगे।

(5) बैठक संबंधी निदेश

विभागीय प्रशाखावार की समीक्षात्मक बैठक सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में निदेशक के द्वारा तथा निदेशक के अवकाश/ व्यस्तता की स्थिति में संयुक्त सचिव के द्वारा एवं संयुक्त सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में अवर सचिव द्वारा किया जाय।

(IV) समस्या/सुझाव

प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भी समस्या एवं सुझाव है तो उसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही उस समस्या का समाधान हेतु सुझाव भी दिया जायेगा।

②

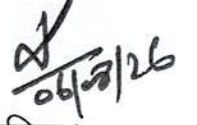
21


(दीपक आनन्द)
सचिव।

ज्ञापांक-01 / स्था0-10(बैठक)-02 / 2026.3.0.01

पटना / दिनांक-6.....8. / 2026

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



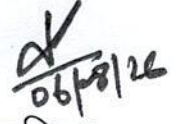
सचिव।

ज्ञापांक-01 / स्था0-10(बैठक)-02 / 2026.3.0.01

पटना / दिनांक-6.....8. / 2026

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना / कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर / निदेशक (खेल) / संयुक्त सचिव / अवर सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सहायक निदेशक, (क्रीड़ा, युवा एवं योजना) / प्रशाखा पदाधिकारी-01 / आई0टी0 मैनेजर / सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31.3-26



सचिव।